संख्या-15/2017/123/41-2017-95 यो0/2016

प्रेषक,

शिव कुमार पाठक
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन, उ0प्र0,
लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग **लखनऊ: दिनांक** 24 **मार्च, 2017**

विषय- राज्य सेक्टर के अन्तर्गत पर्यटन विभाग की संचालित विभिन्न महत्वपूर्ण योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु पुनर्विनियोग के माध्यम से अवशेष धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-1478/6-1-1(699)/बजट/2016 दिनांक 30-12-2016, पत्र सं0-9574/6-1-1 (699)/बजट/2016 दिनांक 03-02-2017 एवं पत्र सं0-9665/6-1-1(699)/बजट/2016-17 दिनांक 10-17-2017 तथा पत्र सं0-9574/6-1-1(699)/बजट/2016 दिनांक 03-02-2017 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पर्यटन विभाग की संचालित विभिन्न योजनाओं के अवशेष कार्य पूर्ण कराये जाने हेतु राज्य सेक्टर के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 में लेखाशीर्ष-"5452-पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-01-पर्यटन अवसंरचना-80-सामान्य-104- संवर्धन तथा प्रचार-9701-आगरा ब्रजपरिक्षेत्र एवं बौद्धपरिपथ में प्रो-पुअर पर्यटन विकास परियोजना-24-वृहत निर्माण कार्य मद हो रही बचतों में से लेखाशीर्ष-"5452-पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-80-सामान्य-104-संवर्धन तथा प्रचार-08-पर्यटन स्थलों का विकास-24-वृहत निर्माण कार्य" में धनराशि रू0 **443.31 लाख** (रूपये चार करोड तैंतालीस लाख इकतीस हजार मात्र) तथा लेखाशीर्षक-"5452-पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-80-सामान्य-104- संवर्धन तथा प्रचार-14-ऐतिहासिक/पौराणिक स्थलो पर पर्यटन अवस्थापना सुविधाओं का विकास-24-वृहत निर्माण कार्य" में धनराशि रू0 **46.26 लाख** (रूपये छियालीस लाख छब्बीस हजार मात्र) पुनर्विनियोग के माध्यम से संलग्न प्रपत्र बी0एम0-9 के अनुसार उपलब्ध कराते हुए निम्नवत् तालिका के स्तम्भ-2 में

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

उल्लिखित योजनाओं के अवशेष कार्य पूर्ण कराये जाने हेतु स्तम्भ-6 में अंकित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं- **(रू0 लाख में)**

क्र0 सं0	**योजना का नाम**	**आंकलित धनराशि**	**अवमुक्त धनराशि**	**शासनादेश सं0 एवं नामित कार्यदायी संस्था**	**अवशेष कार्य हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
मद सं0 08 के अन्तर्गत शासन को प्रेषित प्रस्ताव।					
1.	जनपद फतेहपुर में गंगाघाट (ओमघाट) स्थल भिटौरा का पर्यटन विकास।	45.00	22.50 शा0सं0 104/2015/1289/41-15-97 यो0/2015, दि0 23 जून, 2015	उ0प्र0 समाज कल्याण निर्माण निगम लि0	22.50
2.	जनपद प्रतापगढ़ में कुलदेवी माता मंदिर देरवा का पर्यटन विकास।	200.51	150.00 शा0सं0 10/2015/3010/41-2015-81 यो0/14, दि0 28 जनवरी,2015	उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, प्रतापगढ	50.51
3.	जनपद वाराणसी में तहसील पिंडरा के अन्तर्गत ग्राम बसंतपुर सिंधौरा में स्थित प्राचीन शिव मंदिर स्थल का पर्यटन विकास।	37.41	10.00 शा0सं0 46/2016/559/41-2016-20 यो0/16, दि0 22 मार्च, 2016	सिंचाई निर्माण खण्ड, वाराणसी	27.41
4.	जनपद प्रतापगढ में घुइसरनाथ धाम में प्रकाश	142.30	7.78 शा0सं0	ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रतापगढ	134.52

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

	व्यवस्था, सी0सी0 रोड, इन्टरलॉकिंग एवं रिटेरिंग वाल का निर्माण।		46/2016/559/41-2016-20 यो0/16, दि0 22 मार्च, 2016		
5.	जनपद गाजीपुर में ग्राम जीवपुर, रघुनाथपुर में गंगा नदी के दायें तट पर गंगा आश्रम के निकट घाट का निर्माण एवं पर्यटन विकास।	150.23	75.11 शा0सं0 10/2015/62/41-2015-08 यो0/16, दि0 25 जनवरी,2016	सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग,उ0प्र0 वाराणसी	75.12
6.	जनपद चन्दौली में तहसील सकलडीहा के अन्तर्गत ग्राम कछवड़ में स्थित आनन्द सरोवर स्थल का पर्यटन विकास।	40.00	32.67 शा0सं037/2016/506/41-2016-16 यो0/16, दि0 19 मार्च, 2016	सिंचाई निर्माण खण्ड, वाराणसी	7.33
7.	जनपद आगरा के कासगंज में सोरो का पर्यटन विकास।	49.47	30.00 शा0सं0 76/2015/741/41-2015-71 यो0/15, दि0 29 मार्च, 2015	उ0प्र0 समाज कल्याण निर्माण निगम	19.47
8.	जनपद बिजनौर में तहसील जोगीपुरा में स्थित दरगाह-ए-आलिया नजफ-ए-हिन्द में मूलभूत सुविधाओं का विकास।	85.80	64.35 शा0सं0 90/2015/1017/41-15-79 यो0/2015, दि0 06 मई, 2015	राजकीय निर्माण निगम, बरेली	21.45
9.	जनपद चित्रकूट में रही पर्यटक आवास गृह के पुराने	114.72	100.00 शा0सं0	उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, चित्रकूट	14.72

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

	भवन का जीर्णोद्धार एवं सुदृढ़ीकरण।		51/2015/462/41-15-61 सा0/2015, दि0 19 मार्च, 2015		
10.	जनपद रामपुर में बाबे निजात गेट के निकट गांधी समाधि का सौन्दर्यीकरण।	125.39	62.69 शा0सं0 82/2016/1015/41-2016-30 यो0/16, दि0 30 जून, 2016	सी0एण्ड डी0एस0, उ0प्र0 जल निगम	62.70
11.	जनपद उन्नाव में तहसील बांगरमऊ के ग्राम जगटापुर का पर्यटन विकास।	27.58	20.00 शा0सं0 43/2016/541/41-2016-19 यो0/16, दि0 21 मार्च, 2016	उ0प्र0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0, लखनऊ, यूनिट-31	7.58
				योग मद सं0 08	**443.31**
मद सं0 14 के अन्तर्गत शासन को प्रेषित प्रस्ताव					
12	जनपद बलिया में स्थित महार्षि भृगुजी के मन्दिर का पुनरोद्धार।	44.65	33.48 शा0सं0 30/2015/345/41-15-32 यो0/2015, दि0 27 फरवरी, 2015	यू0पी0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0	11.17
13.	जनपद मुजफ्फर नगर के शुक्रताल में स्नानघाट के सामने नदी के तल को ऊचा	149.78	142.46 शा0सं0 109/2015/1407/41-15-	सिंचाई एवं जल संस्थान विभाग, उ0प्र0	7.32

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

	करने की परियोना		105 यो0/2015, दि0 10 जुलाई, 2015 (74.89 लाख) एवं शा0सं0 44/2016/455/41-16-15 यो0/2016, दि0 22 मार्च, 2016 (67.57 लाख)		
14.	जनपद गाजीपुर में सेवाराई में महेशरा तालाब पर सोलर स्ट्रीट लाइट, टायलेट एवं विकास कार्य।	39.81	29.54 शा0सं0 13/2015/216/41-14-15 यो0/2015, दि0 05 फरवरी, 2015	सिंचाई विभाग उ0प्र0	10.27
15.	जनपर शाहजहांपुर के विसरातघाट पर सीढियों की मरम्मत एवं सुदृढ़ीकरण।	35.00	17.50 शा0सं0 115/2015/1895/41-15-118 यो0/2015, दि0 11 अगस्त, 2015	सिंचाई विभाग, उ0प्र0 शारदा नहर प्रणाली, शाहजहांपुर	17.50
				योग मद सं0 14	**46.26**
				महायोग मद सं0 08 + 14	**489.57**

(1) प्रस्तर-2 में पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप सं0 1/2016 बी0-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22 मार्च, 2016 में निहित शर्तों एवं प्राविधानों के अन्तर्गत ही सुनिश्चित किया जायेगा तथा स्वीकृति धनराशि जिस कार्य/मद हेतु प्रदान की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्यमद हेतु किया जायेगा, अर्थात स्वीकृत धनराशि का व्यय किसी अन्य प्रयोजन हेतु कदापि

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

नहीं किया जायेगा। उक्त कार्यों को अनुमोदित लागत के सीमान्तर्गत ही किया जायेगा तथा कार्यदायी संस्था को अनुमोदित लागत के अतिरिक्त कोई अन्य धनराशि/सेन्टेज चार्ज देय नही होगा। कार्य पूर्ण होने पर कार्यदायी संस्था से कार्य के सम्प्रेक्षित लेखे आवश्य प्राप्त कर लिये जायेंगे।

(3) प्रस्तर-2 में पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृत की जा रही धनराशि को कार्यदायी संस्थाओं को उपलब्ध कराये जाने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि योजना हेतु पूर्व में अवमुक्त की गयी धनराशि का शतप्रतिशत उपयोग सुनिश्चित कर लिया गया है तथा कार्य की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति का उपयोकगिता प्रमाण पत्र सक्षम स्तर से प्राप्त कर लिया गया है। साथ ही यह भी सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि कार्यदायी संस्था द्वारा कार्य निर्धारित मानकों के अन्तर्गत किया गया है। कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी, जिसका अनुश्रवण महानिदेशक, पर्यटन द्वारा कराया जायेगा। स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र भी निर्धारित प्रपत्र पर सक्षम स्तर से शासन एवं महालेखाकार, इलाहाबाद को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उपरोक्तांकित स्वीकृत योजनान्तर्गत कार्यों हेतु किसी अन्य स्रोतों से धनराशि प्राप्त न की गयी हो तथा कार्यदायी संस्था को प्रशासकीय स्वीकृति की सीमा के अन्तर्गत ही धनराशि उपलब्ध करायी जायेगी, जिस हेतु उपरोक्त योजनाओं के लिए पूर्व में दी गयी वित्तीय स्वीकृतियों का भलीभांति मिलान अनिवार्य रूप से कर लिया जायेगा। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि इस योजना की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो और इसके रख-रखाव हेतु राज्य सरकार के ऊपर व्यय-भार न पडे।

(5) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार तथा नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को पी0एल0ए0/बैंक खाते आदि में नही रखा जायेगा। कार्यदायी संस्था द्वारा शासकीय धन पर यदि व्याज अर्जित किया गया है तो उसे राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित किया जाय।

(6) स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016-17 में ही सुनिश्चित किया जायेगा तथा यदि कोई धनराशि बचती है तो उसे इसी वित्तीय वर्ष में शासन को समर्पित/राजकोष में जमा कराने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(7) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उक्त निर्माण कार्य के अन्तर्गत सृजित होने वाली परिसम्पत्तियों के रख-रखाव/अनुश्रवण हेतु उचित व्यवस्था रहे।

(8) योजना का अनुश्रवण महानिदेशक, पर्यटन स्तर पर नियमित रूप से सुनिश्चित करते हुए उसकी मासिक/त्रैमासिक वित्तीय तथा भौतिक प्रगति शासन को उपलब्ध करायी जायेगी। प्रश्नगत निर्माण कार्य के सम्परीक्षित लेखे कार्यदायी संस्था से अवश्य प्राप्त कर लिये जायेंगे।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(9) स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग वित्तीय वर्ष 2016-17 में ही सुनिश्चित किया जायेगा तथा यदि कोई धनराशि बचती है तो उसे तत्काल शासन को समर्पित/राजकोष में जमा कराने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। यह भी सुनिश्चत किया जायेगा कि जिन मदों में पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि उपलब्ध करायी जा रही है उन मदों हेतु किसी अन्य स्रोतों से धनराशि प्राप्त न की गयी हो तथा जिस मद से पुनर्विनियोग किया जा रहा है उस मद में वर्तमान वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की मांग नही की जायेगी।

(10) प्रश्नगत योजना सम्बन्धी आगणन में वर्णित लेबर सेस की कुल धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

(11) प्रस्तर-2 में स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका में दिये गये शर्तों एवं प्रतिबन्धों तथा वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों/आदेशों के अन्तर्गत सुनिश्चित किया जायेगा।

3- उक्त प्रस्तर-2 में अंकित तालिका के स्तम्भ-2 में उल्लिखित योजनाओं के अवशेष कार्य हेतु स्तम्भ-6 में अंकित धनराशि पुनर्विनियोग के माध्यम से उपलब्ध कराये जाने के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-44 के "5452-पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-01-पर्यटन अवसंरचना-80-सामान्य-104-संवर्धन तथा प्रचार-9701-आगरा ब्रजपरिक्षेत्र एवं बौद्धपरिपथ में प्रो-पुअर पर्यटन विकास परियोजना-24-वृहत निर्माण कार्य मद में उपलब्ध धनराशि से पुनर्विनियोग के माध्यम से संलग्न प्रारूप बी0एम0-9 में उल्लिखित विवरण के अनुसार लेखाशीर्ष-''5452-पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-80-सामान्य-104-संवर्धन तथा प्रचार-08-पर्यटन स्थलों का विकास-24-वृहत निर्माण कार्य मद में तथा लेखाशीर्ष-"5452-पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-80-सामान्य-104-संवर्धन तथा प्रचार-14-ऐतिहासिक/पौराणिक स्थलो पर पर्यटन अवस्थापना सुविधाओं का विकास-24-वृहत निर्माण कार्य" मद में उपलब्ध कराते हुए उनके नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय पत्र संख्या ई-7-13/दस-2017 दिनांक 03 जनवरी, 2017 में प्राप्ति उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय

(शिव कुमार पाठक)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-15/2017/123(1)/41-2017 तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।

2- मण्डलायुक्त, वाराणसी, लखनऊ, गोरखपुर, झांसी, फैजाबाद एवं आजमगढ, बस्ती, झांसी मण्डल।

3- जिलाधिकारी, प्रतापगढ, गाजीपुर, लखनऊ, ललितपुर, झांसी, उन्नाव, बाराबंकी, सुल्तानपुर, फैजाबाद, बलिया, वाराणसी, बदायूं, जौनपुर, बस्ती एवं रायबरेली।

4- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

5- कोषाधिकारी सम्बन्धित जनपद फतेहपुर, प्रतापगढ, वाराणसी, गाजीपुर, चन्दौली, आगरा, बिजनौर, चित्रकूट, रामपुर, उन्नाव, बलिया, मुजफ्फर नगर, एवं शाहजहांपुर।

6- वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।

7- सम्बन्धित कार्यदायी संस्था को सूचनार्थ।

8- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7।

9- वेब अधिकारी, पर्यटन विभाग ।

10- उक्त आदेश की एक-एक प्रति योजनाओं से सम्बन्धित पत्रावलियों में संरक्षित किये जाने हेतु।

11- गार्ड-फाइल।

संलग्नक-यथोक्त।

आज्ञा से,

(विनय कुमार सिंह)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

पुनर्विनियोग के लिए आवेदन/स्वीकृति

(सन्दर्भ बजट मैनुअल का प्रस्तर-158)

(इस प्रपत्र को भरने से पूर्व पीछे छपे अनुदेशों को भली भॉति देख लिया जाय)

अनुदान संख्या व नाम-44-पर्यटन विभाग | वित्तीय वर्ष 2016-17 | (धनराशि हजार रूपये में)

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जाएगा		निम्नलिखित निधियों में प्रस्तावित संक्रमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जाएगा	
लेखाशीर्ष (15डिजिट कोड में) आयोजनागत	**आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान/ विनियोग**	**आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध धनराशि**	**संक्रमित की जाने वाली धनराशि**	**वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि**	**संक्रमण के पश्चात शेष अनुदान/ विनियोग (2-5)**	**लेखाशीर्ष (15डिजिट कोड में) आयोजनागत**	**वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध अनुदान/ विनियोग**	**वित्तीय वर्ष में प्रत्याशित कुल धनराशि**	**संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि (9-8)**	**वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि**	**संक्रमण के पश्चात उपलब्ध अनुदान/ विनियोग**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
लेखाशीर्ष 5452-पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-80-सामान्य-104-संवर्धन तथा प्रचार-9701-आगरा ब्रज परिक्षेत्र एवं बौद्ध परिपथ में प्रो-पुअर पर्यटन विकास परियोजना -24-वृहद निर्माण कार्य	400000	212727.72	48957	48957	351043	5452-पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-80-सामान्य-104-संवर्धन तथा प्रचार-08-पर्यटन स्थलों का विकास-24-वृहद निर्माण कार्य	183494	227825	44331	44331	227825
						14-ऐतिहासिक/ पौराणिक स्थलों पर पर्यटन अवस्थापना	237606	242232	4626	4626	242232

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

						सुविधाओं का विकास-24- वृहद निर्माण कार्य					
योग	400000	212727.72	48957	48957	351043	योग	421100	470057	48957	48957	470057

नोट-1- स्तम्भ-3 में उपलब्ध बचत का कारण निम्नानुसार हैः- आगरा ब्रज परिक्षेत्र एवं बौद्ध परिपथ में प्रो-पुअर पर्यटन विकास परियोजना के क्रियान्वयन की विविध औपचारिकताएं पूर्ण करने में समय लगने के दृष्टिगत चालू वित्तीय वर्ष में प्राविधानित धनराशि का सम्पूर्ण व्यय सम्भवन न होने के कारण बचत है। **2-** स्तम्भ-8 में उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ-9 में अंकित अधिक व्यय पर्यटन विभाग की महत्वपूर्ण योजनाओं के क्रियान्वयन अवशेष धनराशि प्रदान किये जाने का प्रस्ताव उक्त बचत से पुनर्विनियोग के द्वारा कराया जा रहा है। **3-** प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-150,151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

(शिव कुमार पाठक)
उप सचिव

संख्या-आरई0- 642/ई-/दस-2017 दिनांक 22.03.2017

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम,

उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।

(अवधेश कुमार खरे)
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

वित्त विभाग।

संख्या-15/2017/123(2)/41-2017-95 यो0/16 दिनांकः मार्च, 2017

प्रतिलिपि - निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. महानिदेशक पर्यटन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-7/नियोजन अनुभाग-4।
6. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 (तीन प्रतियों में)

आज्ञा से,

(शिव कुमार पाठक)
उप सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।